बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26-08-2014

संख्याः–यो01/स्था012–42/2013 3726 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल योजना एवं विकास विभाग के अधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिपिकिय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तो को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।**-- (1) यह नियमावली ''स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014'' कहलायेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य होगा।

   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**–इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (i) **''संवर्ग''** से अभिप्रेत है स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन का लिपिकीय संवर्ग;

   (ii) **''सदस्य''** से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस नियमावली आरम्भ होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त/प्रतिनियुक्त/प्रोन्नति पर समायोजित नियुक्त/पदस्थापित व्यक्ति शामिल है ;

   (iii) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

   (iv) **''आयोग''** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

   (v) **''नियुक्ति प्राधिकार''** से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग ;

   (vi) **''कोटि''** से अभिप्रेत है, नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोटि ;

   (vii) **''विभाग''** से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग ;

   (viii) **''नियत तिथि''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि ; तथा

   (ix) **''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति''** से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की राज्य सरकार के समय–समय पर निर्गत प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ;

3. **सेवा/संवर्ग की संरचना।**– (1) इस लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नवत् होगा :–

क्र0सं0	कोटि का नाम	स्तर	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4
1.	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार
2.	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नत पद	तदैव
3.	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नत पद	तदैव
4.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नत पद	तदैव

नोटः-- लेखा कार्य के लिए अतिरिक्त पद सृजित नहीं होगा। लिपिकीय संवर्ग द्वारा लेखा के कार्य संधारित किये जायेंगे।

(2) संवर्गीय पदों के वेतनमान/वेतन संरचना वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(3) इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व से उक्त कोटि में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति के आधार पर समायोजित कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

(4) इस संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय होंगे।

4. **संवर्ग बल**।– सवंर्ग बल के प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति हेतु, 10 प्रतिशत पद प्रशिक्षण हेतु एवं 10 प्रतिशत अवकाश हेतु पद मंजूर किये जा सकेंगे।

5. **पद सृजन**।– सवंर्ग में किसी कोटि के अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन आवश्कतानुसार समय–समय पर किया जा सकेगा।

6. **शैक्षणिक अर्हता**।– (1) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

(2) **उम्र सीमा**– इस संवर्ग में भर्ती के लिये न्यूनतम उम्र सीमा एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

7. **आरक्षण**।– नियुक्ति/प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर यथावधारित आरक्षण/ रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

8. **भर्ती।–** (1) निम्न वर्गीय लिपिक का 85% पद पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। लिपिकीय पद पर आयोग के अनुशंसित मेधा सूची के चयनित सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की जायेगी।

आयोग की अनुशंसित सूची (पैनल) विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रील के आधार पर रिक्तियों की अधियाचना की गणना कर 30 अप्रील तक आयोग को भेज देगा।

(3) निम्न वर्गीय लिपिक पद पर 15% पद इन्टरमिडिएट उत्तीर्ण सुपात्र समूह 'घ' के वैसे कर्मी से भरे जायेंगे जो निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों। उन्हें बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग में नियुक्त किया जायेगा।

(4) निम्न वर्गीय लिपिक पद का सीधी भर्त्ती के 85% पदों में से अधिक से अधिक 10% पद ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के ऐसे आश्रितों के बीच से, विहित प्रक्रियानुसार इस कोटि में भर्त्ती के लिये सभी अर्हताएँ धारित करते हों, अनुकंपा के आधार पर भरे जायेंगे और जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

(5) नियत तिथि को निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति के आधार पर समायोजित एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इस कोटि में स्वतः समायोजित समझे जायेंगे।

परन्तु वैसे निम्न वर्गीय लिपिक जो इस सेवा में स्वतः शामिल समझे गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्षों से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्षों के अंदर कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण में, यथा राज्य सरकार द्वारा अवधारित, योग्यता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के अंदर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे उन्हें वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

9. **वरीयता।–**(1) नियत तिथि से पूर्व किसी कोटि में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता, उस तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार, विनियमित की जायेगी। परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उक्त तिथि के पूर्व विशिष्टतः अवधारित नहीं की गयी हो तो उनकी वरीयता संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा अवधारित की जायेगी।

(2) किसी कोटि में स्वतः सम्मिलित सभी कर्मी उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जिनकी उस कोटि में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हो।

(3) संवर्ग के सदस्य के आपसी वरीयता आयोग द्वारा परीक्षाफल में अवधारित योग्यता क्रम के अनुसार होगी। किसी वर्ष के सफल उम्मीदवार यदि भिन्न–भिन्न तिथियों को नियुक्त किये जाते हैं तो उसकी वरीयता उस वर्ष के सफल उम्मीदवारों के मेधा सूची के योग्यताक्रम के आधार पर निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह की अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये है।

(4) किसी कोटि के प्रोन्नत पद पर वरीयता निर्धारण, प्रोन्नति वाले पद के ठीक निचले पदों की वरीयता क्रमानुसार होगी। प्रत्येक कोटि के पदों का वरीयता कोटि क्रमांक सूची अलग–अलग संधारित की जायेगी।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों की जिनकी अनुशंसा आयोग से प्राप्त हुई हो किन्तु उनका मेधाक्रम संसूचित नहीं हो, आपसी वरीयता शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और यदि शैक्षणिक योग्यता समान हो तो उम्र की तिथि के आधार पर, निर्धारित की जायेगी किन्तु एक ही समव्यवहार और एक ही वर्ष के दौरान अनुशंसित/नियुक्त मेधा क्रमांक वाले अभ्यर्थियों के अंत में इनकी वरीयता निर्धारित होगी।

10. **परिवीक्षा अवधि।**— निम्न वर्गीय लिपिकों को 'पद' पर योगदान (नियुक्ति) की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा की अवधि में सेवा, कार्यकलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने पर ही उनकी सेवा संपुष्ट की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर विशेष परिस्थिति में परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में भी यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो व्यक्ति सेवा से हटा दिया जाएगा।

11. **सेवा संपुष्टि।**— (1) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को, संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता के बाद, सेवा सम्पुष्ट किया जायेगा।

(2) सीधे नियुक्त व्यक्तियों को (परीक्ष्यमान अवधि में) राज्य भाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा।

12. **वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का संधारण।**— संवर्ग के सदस्य की प्रोन्नति में संभावित विलम्ब को टालने क लिए उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ दो प्रतियों में अभिलिखित

होगी। एक प्रति संवर्ग नियंत्री विभाग को संधारण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी तथा दूसरी प्रति वैसे प्रमंडल/अंचल द्वारा संधारित की जायेगी जहाँ सेवा के सदस्य पदस्थापित हैं।

13. **कालावधि।–** प्रत्येक कोटि में प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

14. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।–**(1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जायेगी, जिसके पाठ्यक्रम केन्द्रीय परीक्षा समिति के परामर्श से विहित किया जायेगा।

(2) मूल कोटि पद से प्रथम प्रोन्नति के निमित राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

15. **संवर्ग के प्रोन्नति का क्रम निम्नवत् होगा।–**

(i) निम्नवर्गीय लिपिक के पद से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर।

(ii) उच्चवर्गीय लिपिक के पद से प्रधान लिपिक के पद पर।

(iii) प्रधान लिपिक के पद से कार्यालय अधीक्षक के पद पर।

16. **प्रोन्नति के लिए चयन का मापदण्ड।–** संवर्ग में प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदण्ड वरीयता–सह–योग्यता का सिद्धान्त होगा।

17. **प्रोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया।–** सभी प्रोन्नति के लिए चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति, संबंधित वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार उपलब्ध रिक्तियों के दो गुणे कर्मियों की सूची पर विचार करेगा। समिति की अनुशंसा सूची प्रोन्नति के निमित एक वर्ष तक मान्य होगा।

18. **विभागीय प्रोन्नति समिति।–** उच्चतर कोटि में समय–समय पर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायेगी :–

(i)	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	अध्यक्ष
(ii)	अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
(iii)	मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत योजना एवं विकास विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी।	सदस्य
(v)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से अन्यून पंक्ति के हों	सदस्य

19. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।–** (1) संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग, प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग होगा, जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(2) संवर्ग में नये पदों के पदों के पद सृजन/नियुक्ति/कर्मियो स्थायीकरण (सम्पुष्टि)/सभी कोटि के पदों पर प्रोन्नति/स्थानांतरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति आदि के मामले विभाग द्वारा सरकारी कार्यालय आदेश से संधारित किये जायेंगे एवं विभाग सक्षम प्राधिकार होंगे।

20. **अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई के लिये सक्षम प्राधिकार।**– संवर्ग के सदस्य के अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई के मामले में लघु सजा एवं वृहत सजा क्षेत्रीय कार्यालय प्रधान द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासी विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

21. **प्रकीर्ण।**– इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के विरूद्ध होने पर भी सेवा की किसी कोटि में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अंतर्गत वेतन का निर्धारण भी है), भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें, तत्समय उस प्रयोजनार्थ प्रवृत राज्य के सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने हेतु यथावश्यक विनियम बना सकेगा।

22. **कठिनाईयों का निराकरण।**– सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को क्रियान्वित करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने हेतु, समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश निर्गत कर सकेगी जो आवश्यक हो और जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

23. **निरसन एवं व्यावृति।**– (1) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिपिकीय संवर्ग के संबंध में पूर्व के सभी नियम, परिपत्र और निर्णय एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी पूर्व के नियमों, परिपत्रों और निर्णय के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस तिथि को लागू थी जब वैसा कुछ किया या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: यो01/स्था012–42/2013 3726 /यो0वि0,पटना दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि: उप सचिव, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग को अधिसूचना की दो हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–42/2013 3726 /यो0वि0,पटना दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की दो हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिहार गजट अंक की 100 (एक सौ) इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–42/2013 3726 /यो0वि0,पटना दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–42/2013 3726 /यो0वि0,पटना दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–42/2013 3726 /यो0वि0,पटना दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल एवं सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

अनुसूची– '1'

संवर्ग के पदों की संरचना एवं गणना

(क) मूल कोटि के पद :–

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
निम्न वर्गीय लिपिक	₹5200–20,200+ग्रेड पे ₹1900/–	123	(i) कार्यअंचलों में एक–एक पद (9X1=9 पद) (ii) सभी कार्य प्रमंडलों में दो–दो पद (57X2=114 पद)

(ख) प्रोन्नति का प्रथम स्तर :–

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
उच्च वर्गीय लिपिक	₹5200–20,200+ग्रेड पे ₹2400/–	66	(i) कार्यअंचलों में एक–एक पद (9X1=9 पद) (ii) सभी कार्य प्रमंडलों में एक–एक पद (57X1=57 पद)

(ग) प्रोन्नति का द्वितीय स्तर :–

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
प्रधान लिपिक	₹9300–34,800+ग्रेड पे ₹4200/–	66	(i) कार्यअंचलों में एक–एक पद (9X1=9 पद) (ii) सभी कार्य प्रमंडलों में एक–एक पद (57X1=57 पद)

(घ) प्रोन्नति का तृतीय स्तर :–

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
कार्यलय अधीक्षक	–	–	पद सृजन प्रस्तावित

?/8/2014